तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/6/24	वकुलाप उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा। मिसल वास्ते बहस क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार में दिनांक 15/7/24 को पेश हो।	
15/7/24	वकुलाप उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा। मिसल क्षेत्राधिकार/ श्रवणाधिकार पर बहस हेतु दिनांक 5/8/24 को पेश हो।	
5/8/24	वकुलाप उपस्थित। प्रकरण में क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार पर उभयपक्ष को सुना गया। वकील प्रार्थी नगरपरिषद बून्दी द्वारा जारी पट्टा सं. 1185 दिनांक 16/6/22 पंजीयन दिनांक 24/6/22 को निरस्त किये जाने बाबत प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से यहां सुनवाई किये जाने का निवेदन किया गया। जबकि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा आपत्ति प्रकट की गई कि यह निगरानी किस नियम के अन्तर्गत यहां पेश की गई है, निगराकार द्वारा इसका निगरानी में अंकन नहीं किया गया है स्पष्ट विधिक प्रावधानों के अभाव में निगरानी यहां चलने योग्य नहीं है। न्यायालय द्वारा बहस पर मनन किया। जिससे जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा निगरानी किस कानून के अन्तर्गत पेश की गई है, निगरानी में इसका उल्लेख नहीं	

न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी (राज.)
सत्यमेव जयते

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..मुकाम..

....बनाम..

किस्म मुकदमा..नं. ....सन्........................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं किया गया। दौरान बहस भी वकील प्रार्थी कोई विधिक प्रावधान पेश नहीं कर पाये। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा बिना क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के हस्तगत निगरानी पेश की गई है। वैसे भी उक्त पट्टा रजिस्टर्ड है तथा रजिस्टर्ड पट्टे को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है, जैसाकि 2018 (2) DNJ (Raj.) पृष्ठ सं. 385 में उद्धरित है। साथ ही स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 10/6/2016 के अवलोकन से प्रकट है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 73 की उपधारा (2) सपठित धारा 337 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संभागीय आयुक्त महोदय को उक्त धारा 73 के अधीन सम्पत्ति के अन्तरण और संविदा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कर निस्तारण करने हेतु प्राधिकृत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि हस्तगत निगरानी में इस न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थी की निगरानी क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अभाव में खारिज की जाती है तथा मूल पत्रावली सक्षम स्तर पर कार्यवाही हेतु प्रार्थी को लौटाई जाती है पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) जिला कलेक्टर; बून्दी	न्यायालय जिला [illegible] बून्दी (राज.)